खाद-बीज के मामले में विपक्ष का बहिर्गमन

सदन में चार घंटे से अधिक चली चर्चा, सहकारिता मंत्री सारंग ने कहा, प्रदेश में खाद और बीज की कमी नहीं

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 20 जुलाई. सदन में सोमवार को कांग्रेस ने प्रदेश में किसानों को खरीफ फसल के लिए खाद, बीज नहीं मिलने और अवर्षा से उत्पन्न स्थिति का मामला प्रमुखता से उठाया. इस मामले में सदन में चार घंटे से भी अधिक चर्चा चली. इस दौरान विपक्ष ने प्रदेश में खाद, बीज की कमी के साथ ही नकली बीज, खाद और कीटनाशक को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया और जवाबदेही तय करने की मांग की. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मामले में जेपीसी के गठन की मांग की. वहीं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि खाद, बीज की कोई कमी नहीं है. मंत्री के जवाब के दौरान कई बार शोर-शराबे की स्थिति बनी. बाद में मंत्री के जवाब से नाराज विपक्ष ने बहिर्गमन कर दिया.

चर्चा का जवाब देते हुए सारंग ने कहा कि अल्प वर्षा की स्थिति में भी राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है. किसान ठीक ढंग से खेती कर सके, इसके लिये सरकार भरपूर प्रयास कर रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में उन्नत कृषि के लिये 16 विभागों को मिलाकर राज्य सरकार इस वर्ष को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है. मप्र में अल्प वर्षा की स्थिति है.इसके लिये मौसम विभाग के आंकड़े भी सामने हैं. औसत देखें तो 16 प्रतिशत वर्षा की ही कमी है और केवल एक जिला आलीराजपुर अल्प वर्षा वाला है. कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की गयी है. इसमें 10 लायसेंस निरस्त और 16 पर एफआईआर की गई है. उन्होंने बताया कि 5.48 मीट्रिक टन यूरिया रखा है. इसकी कोई कमी नहीं है. 520 लाख टन अनाज की आवक हुई है, जो 15 प्रतिशत अधिक है.

चर्चा में हिस्सा लेते हुए विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि प्रदेश में किसान हलाकान है. सरकार का व्यवहार भ्रामक और अंधेरे में रखने वाला है.हर साल किसानों का 7-8 लाख मीट्रिक टन अनाज सड़ जाता है. वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि क्या हम जिलों में जाएंगे, किसानों से बात करेंगे. वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने की वकालत की.

दिवंगतों को श्रद्धांजलि

दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई. विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने पूर्व विधानसभा सदस्य अश्विनी जोशी, पहाड़ सिंह कन्नौजे, पूर्व केंद्रीय मंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी, प्रशिद्ध शायर डॉ. बशीर बद्र और सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का उल्लेख करते हुए अपनी और सदन की ओर से दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी दिवंगतों के व्यक्तित्व का जिक्र करते हुए श्रद्धांजलि दी.

विधेयक किए गए पेश

सदन में यूसीसी के साथ ही 13 अन्य विधेयक भी पेश किए गए. मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत राज्य मंत्री गौतम टेटवाल द्वारा यूसीसी विधेयक पेश किए जाने के तत्काल बाद मंत्री प्रहलाद पटेल ने मप्र कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता श्रम शक्ति संहिता विधेयक 2026 पेश किया. इनमें मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक 2026 भी शामिल है. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने भी दो विधेयक पेश किए, इनमें मप्र धन्वंतरि स्वास्थ्य विवि विधेयक 2026 और मप्र आयुर्विज्ञान विवि संशोधन विधेयक 2026 भी शामिल हैं.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक को ज्ञापन सौंपा

भोपाल. मप्र वन कर्मचारी मंच ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक बल प्रमुख को सोमवार को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में वन विभाग में कार्यवाहक प्रभार में पदस्थ वन अधिकारी-कर्मचारियों को यथावत कार्यवाहक पद पर रखे जाने की मांग गई है. मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडेय ने बताया कि वन विभाग में 3 वर्ष में वन अधिकारी-कर्मचारियों को पदस्थ किया गया था लेकिन पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया है.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

परिशिष्ट IV [नियम 8 (1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिसका आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो चुका है) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा अधिनियम की धारा 13(12) एवं सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 30.08.2021 को उधारकर्ता, सह-उधारकर्ताओं एवं गारंटरों: राजीव श्रीवास्तव, प्रियंका ज्वेलर्स, मोहिनी रस्तोगी को मांग सूचना जारी की थी, जिसमें उन्हें निर्देशित किया गया था कि वे दिनांक 28.08.2021 तक बकाया रू. 41,12,541.97/- (इकतालीस लाख बारह हजार पाँच सौ इकतालीस एवं सत्तानवे पैसे मात्र) की राशि, उक्त मांग सूचना प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर अदा करें।
चूँकि उधारकताओं द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर उक्त बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, अतः उधारकर्ता तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13(4) तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक 15 जुलाई, 2026 को अपने अधिकार में ले लिया है।
उधारकर्ताओं तथा आम जनता को विशेष रूप से सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें। यदि कोई व्यक्ति उक्त संपत्ति के संबंध में कोई लेन-देन करता है, तो वह आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिसका आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो चुका है) के रू. 41,12,541.97/- (इकतालीस लाख बारह हजार पाँच सौ इकतालीस एवं सत्तानवे पैसे मात्र) तथा उस पर देय ब्याज के प्रभार के अधीन रहेगा।
उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अंतर्गत उन्हें सुरक्षित परिसंपत्ति का मोचन करने हेतु उपलब्ध समय एवं अधिकार का प्रावधान किया गया है।

अचल संपत्तियों का विवरण।

"मानसरोवर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स" नाम की बिल्डिंग के लोअर ग्राउंड फ्लोर पर स्थित कमर्शियल शॉप नंबर LB-5 (जिसका एरिया 529 वर्ग फुट है) का पूरा हिस्सा; यह प्रॉपर्टी रेवेन्यू सर्वे नंबर 27/1/2, होशंगाबाद रोड, "R" डिपो, भोपाल, मध्य प्रदेश की जमीन पर स्थित है और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः कॉरिडोर, पश्चिमः दूसरी प्रॉपर्टी, उत्तरः LB-6, दक्षिणः सीढ़ियाँ।

दिनांक: 15.07.2026
स्थान: मध्यप्रदेश
ऋण खाता संख्या: 7743773

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

यूसीसी के फायदों को जनता तक पहुंचाएं

▶ भाजपा विधायक दल की बैठक में सीएम ने विधायकों को दिया टॉस्क

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 20 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधायकों को यूसीसी के फायदों को जनता तक पहुंचाने का टॉस्क दिया है. उन्होंने कहा कि जनता को बताएं कि यूसीसी सभी नागरिकों को समान अधिकार एवं कानूनी संरक्षण प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. आमजन को यह भी बताएं कि यूसीसी में महिला-पुरुष को संपत्ति में समान अधिकार देकर आधी आबादी के हितों का संरक्षण होगा. मुख्यमंत्री निवास में सोमवार रात भाजपा विधायक दल की बैठक हुई.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी लागू होने पर सबसे अधिक लाभ हमारी मुस्लिम बहनों को मिलेगा. विपक्ष भ्रम फैलाने का प्रयास करेगा, लेकिन उसके भ्रामक प्रचार का हमें तथ्यों के साथ जवाब देकर यूसीसी के लाभ आमजन तक पहुंचाने हैं. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि यूसीसी लागू होने पर मध्यप्रदेश में प्रत्येक नागरिक के लिए समान अधिकार एवं समान अवसर मिलने की परिकल्पना साकार होगी.

गंदगी, पॉलीथीन और मलबा फैलाने वालों पर सख्ती

भोपाल. नगर निगम ने शहर में गंदगी फैलाने, सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथीन का उपयोग करने, सी एंड डी (निर्माण एवं विध्वंस) वेस्ट सड़कों पर फेंकने और सार्वजनिक संपत्तियों को विरूपित करने वालों के खिलाफ सोमवार को सख्त कार्रवाई की. अभियान के दौरान 71 मामलों में कुल 22,100 रुपये का स्पॉट फाइन वसूला गया नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाएं, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें.

CENTRUM HOUSING FINANCE LIMITED
Group Company of peoplehome
A Subsidiary of Weaver Services Private Limited
All loans are processed and serviced by Centrum Housing Finance Limited ("CHFL")

रजिस्टर्ड ऑफिस : यूनिट नंबर 301, तीसरी मंज़िल, हरभजन कमर्शियल प्रिमाइसेस को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, CST रोड, BPCL पेट्रोल पंप के सामने, कलिना, सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई-400098.
CIN: U65922MH2016PLC273826

कब्जा नोटिस

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) और नियम 8(2) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

चूंकि, नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी, 'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002' के तहत 'सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के अधिकृत अधिकारी हैं और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले सेक्शन 13(12) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी के अधिकृत अधिकारी ने नीचे बताए गए उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें नोटिस में बताई गई बकाया राशि को कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ब्याज, पेनल्टी ब्याज, शुल्क, लागत आदि के साथ नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। उधारकर्ता द्वारा राशि न चुका पाने के कारण, उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी ने उक्त एक्ट के सेक्शन 13(4) और उक्त नियमों के नियम 8 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नीचे बताई गई प्रॉपर्टी का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता और आम जनता को खास तौर पर चेतावनी दी जाती है कि वे इस प्रॉपर्टी का कोई लेन-देन न करें; प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी लेन-देन 'सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के उस चार्ज (दावे) के अधीन होगा जिसमें बकाया राशि के साथ-साथ कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ब्याज, पेनल्टी ब्याज, शुल्क, लागत आदि शामिल हैं। उधारकर्ता का ध्यान एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (8) के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है, जो सुरक्षित एसेट्स (संपत्ति) को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के बारे में हैं।

स. क्रं.	ऋण खाता सं. उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का नाम/	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	मांग की तिथि नोटिस और कुल बकाया राशि (रु.)	कब्जा लेने की तिथि
1	BHOBH17000191 एवं BHOBH24017575 इंद्रा मीरचंदानी/ संदीप मीरचंदानी/राजेंद्र कुमार मीरचंदानी	अचल संपत्ति के अधिकार और हिस्से के तौर पर- गायत्री भवन की दूसरी मंज़िल पर स्थित फ़्लैट नं. S-01, प्लॉट नं.243, क्षेत्रफल 550 वर्गफीट, लावण्या गुरुकुल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, पंचवटी कॉलोनी, ग्राम-सिंगारचोली, ज़िला-भोपाल-462001,म.प्र.। सीमाएँ:- पूर्वः प्लॉट नं. 232, पश्चिमः 7.5 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तरः प्लॉट नं.242, दक्षिणः फ़्लैट नं.244।	27-जनवरी-26/ रू. 18,22,709/- (अठारह लाख बाईस हजार सात सौ नौ मात्र)	15-07-2026

दिनांक : 21.07.2026, स्थानः मध्यप्रदेश   हस्ताक्षर/-, अधिकृत अधिकारी, सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ओर से

नवागत एसडीएम ने संभाला कार्यभार

नवभारत न्यूज

बैरसिया, 20 जुलाई. कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने 19 जुलाई के जारी आदेश में दो डिप्टी कलेक्टरों की नवीन पदस्थापना की है. इसमें बैरसिया एसडीएम आशुतोष शर्मा को एसडीएम गोविंदपुरा भोपाल एवं शिवांगी बघेल डिप्टी कलेक्टर को बैरसिया अनुभाग का एसडीएम बनाया है. सोमवार को डिप्टी कलेक्टर शिवांगी बघेल ने अनुभाग कार्यालय बैरसिया में एसडीएम का कार्यभार संभाल लिया है. नवागत एसडीएम सुश्री बघेल ने नवभारत से चर्चा में बताया कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, सुगम यातायात और स्वच्छ सुंदर शहर प्राथमिकता रहेगी. उन्होंने कहा कि कोई किसी भी तरह की समस्या लेकर आता है या जनसुनवाई में कोई आवेदन आता है तो उसका समाधान किया जायेगा. उन्होंने एसडीएम ओर तहसील कार्यालय स्टाफ के साथ बैठक में परिचय प्राप्त किया. तहसीलदार आदित्य जंगेला, नायब तहसीलदार प्रतिनीश तिवारी, पटवारी सुरेंद्र दांगी, मनोहर सिह राजपूत, अनिकेत कुशवाह आदि ने एसडीएम को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया.

लोकायुक्त के सामने उपस्थित होंगी एसीएस दीपाली रस्तोगी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 20 जुलाई. पोषण आहार में घोटाले को लेकर लोकायुक्त में दर्ज जांच प्रकरण में अपर मुख्य सचिव दीपाली रस्तोगी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग लोकायुक्त कार्यालय में 31 अगस्त को उपस्थित होंगी.

पूर्व में लोकायुक्त के बुलावे के बाबजूद कार्यालय व्यस्तता के कारण लोकायुक्त कार्यालय में उपस्थिति नहीं दे सकी.यह जानकारी सोमवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रताप ग्रेवाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी. मंत्री पटेल ने बताया कि टेक होम राशन पर ऑडिट रिपोर्ट में ली गई आपत्ति के संबंध में 73 अधिकारियों पर कार्यवाही की गई, जिसमें से 11 प्रथम श्रेणी जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं. जिन पर कार्यवाही शासन स्तर पर प्रचलन में है.

विस की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई

भोपाल. विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के सभापतित्व में सोमवार को विधानसभा में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक संपन्न हुई,जिसमें सत्र के कामकाज के संबंध में विचार विमर्श हुआ. बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव,नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार,उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ.सीतासरन शर्मा,संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायकगण गोपाल भार्गव, हेमंत खंडेलवाल, अजय विश्नोई, सोहनलाल बाल्मीक, यादवेंद्र सिंह, लखन घनघोरिया, हेमंत सत्यदेव कटारे सहित प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा भी उपस्थित रहे.

प्रारूप-ग्यारह
(नियम 9 देखिए)
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व की उगाही) नियम, 2020
न्यायालय तहसीलदार, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)
प्रकरण क्रमांक 0017/अ-16/2024-25

स्थावर संपत्ति के विक्रय की उद्घोषणा
(मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1995 की धारा 147 (1) (ग) के अधीन)

क्योंकि नीचे वर्णित स्थावर संपत्ति, श्री वसीम पटेल बिल्डकॉन इण्डिया प्रा.लि. पता: प्लाट 317-बी, सी-21 मॉल, होशंगाबाद रोड भोपाल, सेकण्ड फ्लोर, प्लॉट नम्बर 44, जोन-1 एम.पी. नगर भोपाल, पर भू-राजस्व (रेरा वसूली) लेखे में रुपए 2,15,33,965/- (रु. दो करोड पंद्रह लाख तैंतीस हजार नौ सौ पैंसठ मात्र)+ ब्याज (गणना पत्र के अनुसार राशि अदा करने की तिथि तक ब्याज सहित) तथा आदेशिका जारी करने तथा उसके प्रवर्तन के खर्चे के लेखे देय रुपए 600/- देय है, की वसूली हेतु अनावेदक की भूमि कुर्क की गई है.
एतद् द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि यदि इसमें विक्रय के लिए नियत दिनांक से पूर्व उपरोक्त संपूर्ण राशि का भुगतान, आवेदकगण श्री योगेश शर्मा, श्री रोहित शाण्डिल्य, श्रीमती चन्द्रकांता चौबे, श्री रोहित शाण्डिल्य, श्री ममता शाण्डिल्य. श्री रितु शाण्डिल्य, श्री अरुण कुमार शर्मा, श्री योगेश शर्मा, श्री लोकेश शर्मा, श्री चंद्रकांता चौबे, श्रीमती चंद्रमुखी शर्मा को नहीं कर दिया जाता है तो निम्न संपत्ति का विक्रय, स्थान न्यायालय तहसीलदार गौहरगंज जिला रायसेन के सभाकक्ष में दिनांक 31 जुलाई 2026 को दोपहर 1.00 बजे या उसके लगभग सार्वजनिक नीलामी द्वारा कर दिया जाएगा. विक्रय का विस्तार केवल निम्न संपत्ति में उक्त बकायादार के अधिकारों, हकों तथा हितों तक सीमित होगा.

संपत्ति के ब्यौरे

क्र.	विवरण		भूमि का बाजार मूल्य वर्ष 2026-27 के अनुसार नीलाम की न्यूनतम राशि	वसूली हेतु राशि
(1)	(2) विक्रय हेतु सम्पत्ति		(3)	(4)
1.	तहसील गौहरगंज स्थित ग्राम मेन्दुआ खसरा क्रमांक 5/2, 6, 7/4, 25/2, 26 रकबा क्रमशः 0.235, 0.162, 1.385, 1.214, 1.311 कुल किता रकबा 5 4.307 हेक्टेयर भूमि पर स्थित गोल्डन पार्क के प्लाट क्रमांक	दुकान क्र. 03 क्षेत्रफल 300 वर्गफिट दुकान क्र. 07 क्षेत्रफल 300 वर्गफिट दुकान क्र. 08 क्षेत्रफल 300 वर्गफिट दुकान क्र. 06 क्षेत्रफल 300 वर्गफिट बी-70 क्षेत्रफल 1250 वर्गफिट बी-71 क्षेत्रफल 1250 वर्गफिट एफ-2 क्षेत्रफल 700 वर्गफिट एफ -8 क्षेत्रफल 700 वर्गफिट ई-15 क्षेत्रफल 1000 वर्गफिट	रुपये 1,003,717/- रुपये 1,003,717/ रुपये 1,003,717/- रुपये 1,003,717/- रुपये 9,29,368/- रुपये 9,29,368/- रुपये 5,20,446/- रुपये 5,20,446/- रुपये 7,43,494/-	रुपए 2,15,33,965/- (रु. दो करोड़ पन्द्रह लाख तैंतीस हजार नौ सौ पैंसठ मात्र)+ ब्याज (गणना) पत्र के अनुसार राशि अदा करने की तिथि तक ब्याज सहित) तथा आदेशिका जारी करने तथा उसके प्रवर्तन के खर्चे के लेखे देय रुपए 600/-
2.	तहसील गौहरगंज स्थित ग्राम कीरतनगर खसरा क्रमांक 37/1, 38, 42/253, 43, रकबा क्रमशः 1.214, 0.737, 5.593, 2.023 कुल 4 किता रकबा 9.567 हेक्टेयर भूमि पर स्थित गुलमोहर पार्क के प्लाट क्र.	डी-17 क्षेत्रफल 2100 वर्गफिट बी-24 क्षेत्रफल 1500 वर्गफिट बी-14 क्षेत्रफल 1500 वर्गफिट एफ-10 क्षेत्रफल 800 वर्गफिट एफ-88 क्षेत्रफल 800 वर्गफिट ई-75 क्षेत्रफल 1000 वर्गफिट ई-76 क्षेत्रफल 1000 वर्गफिट बी-48 क्षेत्रफल 1800 वर्गफिट सी-30 क्षेत्रफल 1500 वर्गफिट ई-115 क्षेत्रफल 1000 वर्गफिट	रुपये 9,75,836/- रुपये 6,97,026/- रुपये 6,97,026/- रुपये 3,71,747/- रुपये 3,71,747/- रुपये 4,64,684/- रुपये 4,64,684/- रुपये 8,36,431/- रुपये 6,97,026/- रुपये 4,64,684/-	
3.	तहसील गौहरगंज स्थित ग्राम रोजड़ाचक के खसरा क्रमांक 3/5 कुल रकबा 2.841 हेक्टेयर भूमि पर स्थित ग्रीन पार्क के प्लाट क्र.	डी-14 क्षेत्रफल 2400 वर्गफिट	रुपये 12,49,070/-	

G15952/26   तहसीलदार, तहसील गौहरगंज जिला-रायसेन

बैरसिया नगर पालिका में 6 एल्डरमैन नियुक्त

बैरसिया. सरकार ने लंबी प्रतीक्षा के बाद सोमवार को नगरीय निकाय में एल्डरमैन के नामों की सूची जारी कर दी है. नगर पालिका परिषद बैरसिया में 6 एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं.इनमें कला बाई, कुलदीप शर्मा, राकेश गुप्ता, मोना शिल्पी, राधेश्याम शिल्पकार, जितेंद्र सोलंकी हैं. सभी नवनियुक्त एल्डरमैनो को विधायक विष्णुखत्री, जिलाध्यक्ष तीरथ सिह मीणा सहित कई भाजपा नेताओं ने बधाइयां दी है.

SUMMONS TO DEFENDANT
(U/o 5 Rule 20 CPC)
In The Court of 3rd Jt. Civil Judge Jr. Dn. And JMFC Nagpur Room No. 516
R.C.S. No. 256/2026 P.N. 6096
Fixed for 06.08.2026 18.07.2026
Plaintiff : Swati Sudhicandra Chatterjee
Versus
Defendants: Dinesh Roopchand Rathore & Others
To, 1. Dinesh Roopchand Rathore, 2) Shraddha Bhikulal Rathore Both R/o. Opp. Lulu Sadam Tikari, Baitul Police station, Kotwali, Dist. Baitul, State Madhya Pradesh
Whereas plaintiff has instituted a **suit against you for Suit for Permanent & Mandatory Injunction** to appear in this court in person or by a pleader duly instructed and able to answer all material questions relating to the suit or who shall be accompanied by some person able to answer all such questions on the **06.08.2026 at 11-00 o'clock** in the forenoon to answer the claim and further you are hereby directed to file on that day (For within 30 days from the date of service of this summons) a written statement of your defence and to produce on the said day all documents in your possession or power upon which you base your defence or claim for set-off or counter-claim and where you rely on any other documents whether in your possession or power or not as evidense in support of your defence or claim for set-off or counter-claim you shall enter such documents in a list to be annexed to the written statement.
Take notice that in default of your appearance on the day before mentioned the suit will be heard and determined in your absence.
Given under my hand and the seal of this Court this day of 18th day of July 2026.
Seal   By order of the Court
Asstt. Suptd.
Court of Civil Judge Sr.Dn Nagpur

PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT
(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)
IN THE COURT OF MS. SHIVALI SHARMA LD. DJ-06 CENTRAL DISTRICT ROOM NO. 509 EXTENSION BUILDING TIS HAZARI COURTS DELHI
CS DJ-469/2019
DR. ABDUL MATEEN & ORS.
V/S
MST. NAFEESA KHATOON & ORS.
To,
D-1. MST. NAFEESA KHATOON W/O SHRI ABDUL HAMEED KHAN R/O 5, VIP ROAD, KOHEY FIZA, BHOPAL M.P.
WHEREAS you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the **12th day of AUGUST, 2026** the day fixed for the final disposal, it will be heard & determined ex-parte.
Given under my hand and the seal of the Court, this 09th day of July, 2026.
District Judge-06, Central District, Tis Hazari Courts, Delhi

PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT
(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)
IN THE COURT OF MS. SHIVALI SHARMA LD. DJ-06 CENTRAL DISTRICT ROOM NO. 509 EXTENSION BUILDING TIS HAZARI COURTS DELHI
CS DJ-466/2019
DR. ABDUL MATEEN & ORS.
V/S
MST. NAFEESA KHATOON & ORS.
To,
D-1. MST. NAFEESA KHATOON W/O SHRI ABDUL HAMEED KHAN R/O 5, VIP ROAD, KOHEY FIZA, BHOPAL M.P.
WHEREAS you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the **12th day of AUGUST, 2026** the day fixed for the final disposal, it will be heard & determined ex-parte.
Given under my hand and the seal of the Court, this 09th day of July, 2026.
District Judge-06, Central District, Tis Hazari Courts, Delhi

PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT
(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)
IN THE COURT OF MS. SHIVALI SHARMA LD. DJ-06 CENTRAL DISTRICT ROOM NO. 509 EXTENSION BUILDING TIS HAZARI COURTS DELHI
CS DJ-467/2019
DR. ABDUL MATEEN & ORS.
V/S
MST. NAFEESA KHATOON & ORS.
To,
D-1. MST. NAFEESA KHATOON W/O SHRI ABDUL HAMEED KHAN R/O 5, VIP ROAD, KOHEY FIZA, BHOPAL M.P.
WHEREAS you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the **12th day of AUGUST, 2026** the day fixed for the final disposal, it will be heard & determined ex-parte.
Given under my hand and the seal of the Court, this 09th day of July, 2026.
District Judge-06, Central District, Tis Hazari Courts, Delhi

PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT
(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)
IN THE COURT OF MS. SHIVALI SHARMA LD. DJ-06 CENTRAL DISTRICT ROOM NO. 509 EXTENSION BUILDING TIS HAZARI COURTS DELHI
CS DJ-468/2019
DR. ABDUL MATEEN & ORS.
V/S
MST. NAFEESA KHATOON & ORS.
To,
D-1. MST. NAFEESA KHATOON W/O SHRI ABDUL HAMEED KHAN R/O 5, VIP ROAD, KOHEY FIZA, BHOPAL M.P.
WHEREAS you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the **12th day of AUGUST, 2026** the day fixed for the final disposal, it will be heard & determined ex-parte.
Given under my hand and the seal of the Court, this 09th day of July, 2026.
District Judge-06, Central District, Tis Hazari Courts, Delhi

न्यायालय वृत्त रतनपुर सड़क तहसीलदार, तहसील-कोलार, जिला भोपाल
क्रमांक 0711/1-6/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है प्रकरण का संक्षिप्त विवरण आवेदक श्रीमती मधु पटेल पत्नी श्री राजेश पटेल निवासी- भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा पत्र अन्तर्गत धारा 109-110 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है ग्राम बागसेवनिया स्थित भूमि खसरा क्रमांक 213/1/1/1 के अंश भाग पर स्थित भूखण्ड क्रमांक 2 जिसका रकबा 814 वर्गफिट के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु निवेदन किया है. इस संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था को आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के जारी होने के 15 दिन के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करे. समया वधि पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 22/6/2026 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

तहसीलदार
तहसील कोलार, भोपाल
(RN. 62333)

नाम परिवर्तन

मैं JUNED ALI KHAN S/O RAJA ALI KHAN आयु वयस्क निवासी: एम आई जी 226 हाउसिंग बोर्ड ऐशबाग कॉलोनी ऐशबाग भोपाल मेरे पासपोर्ट में पहले मेरा नाम JUNAID ALI दर्ज था जो की बदल कर मेरा नाम JUNED ALI KHAN हो गया है. अब मेरे दस्तावेज में मेरा नाम यही है. अब इसी नाम से जाना व पहचाना जायेगा.

नाम परिवर्तन

मैं MOHAMMAD RAIS S/O GAFFUR KHAN आयु वयस्क निवासी: 46 गली नं. 01 खटीकपुरा बुधवारा भोपाल मेरे दस्तावेजों में पहले मेरा नाम RAIS KHAN दर्ज था जो की बदल कर मेरा नाम MOHAMMAD RAIS हो गया है. अब मेरे दस्तावेज में मेरा नाम यही है. अब इसी नाम से जाना व पहचाना जायेगा.

CENTRUM HOUSING FINANCE LIMITED
Group Company of peoplehome
A Subsidiary of Weaver Services Private Limited
All loans are processed and serviced by Centrum Housing Finance Limited ("CHFL")

रजिस्टर्ड ऑफिस : यूनिट नंबर 301, तीसरी मंज़िल, हरभजन कमर्शियल प्रेमिसेस को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, CST रोड, BPCL पेट्रोल पंप के सामने, कलिना, सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई - 400098.
CIN: U65922MH2016PLC273826

डिमांड नोटिस

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 13(2) और सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 3(1) के तहत।

नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी, 'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002' (जिसे 'उक्त एक्ट' कहा गया है) के तहत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी हैं। उक्त एक्ट की धारा 13(12) और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' के नियम 3 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, अधिकृत अधिकारी ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किए हैं। इन नोटिसों के जरिए नीचे बताए गए उधारकताओं (जिन्हें 'उक्त उधारकर्ता' कहा गया है) से कहा गया है कि वे अपने-अपने डिमांड नोटिस में बताई गई रकम चुकाएं (जो नीचे भी दी गई है)।
इस संबंध में, उक्त उधारकताओं को एक बार फिर यह नोटिस दिया जाता है कि वे इस नोटिस के छपने के 60 दिनों के भीतर सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को नीचे बताई गई रकम चुकाएं। साथ ही, बकाया रकम पूरी तरह चुकाने की तारीख तक का अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क भी दें (जैसा कि उक्त डिमांड नोटिस में बताया गया है)। यह भुगतान नीचे बताई गई तारीखों से लेकर भुगतान और/या वसूली की तारीख तक करना होगा, जो लोन एग्रीमेंट और उक्त उधारकताओं द्वारा हस्ताक्षरित अन्य दस्तावेजों/लिखतों (यदि कोई हों) के तहत देय है। लोन की सही समय पर अदायगी की सुरक्षा के तौर पर, उक्त उधारकताओं ने सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास अपनी-अपनी संपत्तियां गिरवी रखी हैं।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या/उधारकर्ता (ओं)/सह-उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम	कुल बकाया राशि (रु.)	एनपीए दिनांक / सेक. 13(2) नोटिस दिनांक / एफसीएल दिनांक	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
1	BHOVD25020424/ मीरा बाई (कानूनी उत्तराधिकारी लेफ्टिनेंट गोरी शंकर अहिरवार)/अजय अहिरवार (लेफ्टिनेंट गोरी शंकर अहिरवार के कानूनी उत्तराधिकारी)/ लेफ्टिनेंट गोरी शंकर अहिरवार के कानूनी उत्तराधिकारी/रुक्मणि अहिरवार	रू. 7,48,106.00 (सात लाख अड़तालीस हजार एक सौ छह मात्र)	08-06-2026 08-07-2026 07-07-2026	अचल संपत्ति के अधिकार और उसका हिस्सा, जो वार्ड नंबर 10, अंबेडकर वार्ड, गौशाला, गंज बसौदा, तहसील-बसौदा, जिला-विदिशा-464221, मध्य प्रदेश में स्थित है और जिसका क्षेत्रफल 750 वर्ग फुट है। सीमाएँ:- पूर्व : गली, पश्चिम : गली, उत्तर : खुमान ड्राइवर का घर, दक्षिण : गुलाबचंद जैन का घर।

अगर बताए गए उधारकर्ता सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को ऊपर बताए अनुसार पेमेंट करने में नाकाम रहते हैं, तो सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक्ट की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत ऊपर बताई गई सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसमें होने वाले खर्च और नतीजों की पूरी ज़िम्मेदारी उधारकताओं की होगी। एक्ट के तहत, उधारकताओं को सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की पहले से लिखित मंजूरी के बिना इन संपत्तियों को बेचने, लीज पर देने या किसी और तरह से ट्रांसफर करने की मनाही है। जो कोई भी इस एक्ट या इसके तहत बने नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने में मदद करता है, उसे एक्ट में बताए अनुसार जेल की सजा और/या जुर्माना हो सकता है।

स्थानः मध्यप्रदेश, दिनांक : 21.07.2026   हस्ताक्षर/-, सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी

M.P. HOUSING & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BOARD

NOTICE INVITING E-TENDER

Online percentage rate tender is invited for the following work from contractor fulfilling registration Criteria :-

S. No.	System E-Tender No.	Name of Work	Probable Amount of Contract & EMD & Cost of Tender Form (I/C GST) & Completion Period	Start Date of Purchase & Last Dt. Submission of Bids	Date of Opening of Tenders Envelop A, B & C
1.	2026_ MPHID_ 520281_1 **(1st Call)**	Supply & Installation of Furniture at Academic Cum Admin Block for Pt. Khushilal Sharma Govt. (Autonomous) Ayurveda College & Institute, Kaliasot Road, Bhopal.	Rs. 3,05,59,500 & Rs. 3,05,600/- & Rs. 17,700/- & 03 Month (i/c Rainy Season)	Dt. 22.07.2026 10:30 AM To 17.08.2026 at 17:30	**ENVELOP-A & B** 19.08.2026 12:00 Noon & **ENVELOP-C** Shall be decided after Technical Evaluation
2.	2026_ MPHID_ 520561_1 **(1st Call)**	Construction of Multi-Purpose Hall, 6F-Type Residential Qtrs. (G+2) & 4 No. Addl. Lab at Govt. Polytechnic College, Rajgarh.	Rs. 5,63,12,000 & Rs. 5,63,000/- & Rs. 23,600/- & 18 Month (i/c Rainy Season)	Dt. 22.07.2026 10:30 AM To 17.08.2026 at 17:30	**ENVELOP-A & B** 19.08.2026 12:00 Noon & **ENVELOP-C** Shall be decided after Technical Evaluation

Full details of the above tenders can be seen on **www.mptenders.gov.in.** Amendments to NIT, if any shall be published on website only.
Websites : www.mphousing.in   **(PRADEEP KUMAR HEDAU, E.E.)**
M.P. Madhyam/127029/2026 /mphidb /mphidb **Div. 1, Bhopal, Tel. : 0755-3506147**